भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2557
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

2557. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के कार्यान्वयन की वर्षवार और जिलावार स्थिति क्या है;

(ख) क्या जून 2025 तक आंध्र प्रदेश में पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत लगभग 2,600 करोड़ रुपये के दावे लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेल्लोर जिले के 35,000 किसानों के 101 करोड़ रुपये के लंबित दावे 2022-23 के रबी फसल मौसम के बाद से लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लंबित दावों का तत्काल निपटान करने के प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभ में खरीफ 2016 से खरीफ 2019 तक प्रधानमंत्री फसल योजना (PMFBY) को कार्यान्वित किया और उसके बाद PMFBY के कार्यान्वयन को रोक दिया और अपनी स्वयं की स्व-वित्तपोषित निःशुल्क फसल बीमा योजना शुरू की, जिसमें डिजिटल फसल सर्वेक्षण (ई-क्रॉप) डेटा पर आधारित नामांकन किया जाता है और इसमें बीमा कंपनियों की कोई भागीदारी नहीं होती है। केंद्र सरकार के प्रयासों के पश्चात, राज्य सरकार ने खरीफ 2022 से ई-क्रॉप के आधार पर निःशुल्क/समग्र कवरेज के साथ PMFBY में शामिल हो गया है। राज्य सरकार ने रबी 2024-25 से PMFBY के तहत किसानों के स्वैच्छिक नामांकन की ओर कदम बढ़ाया है।

(ख) से (घ) : रबी 2022-23 से रबी 2024-25 की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रीमियम सब्सिडी का हिस्सा प्राप्त न होने के कारण नेल्लोर जिले के किसानों के दावे सहित कुछ दावों का भुगतान लंबित है। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई डीलिंकिंग व्यवस्था के तहत, भारत सरकार से संबंधित प्रीमियम सब्सिडी का शेयर जारी कर दिया गया है और पिछले सीजनों में राज्य के पात्र किसानों को इसके अनुपात में दावे भी जारी कर दिए गए हैं।

******